रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1970/ज्येष्ठ 30, 1892
No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1970/JYAISTHA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th June 1970

S.O. 2202/18A/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Rajkot Spg. & Wvg. Mills Ltd., Rajkot, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation Limited, Ahmedabad (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Rajkot Spg. & Wvg. Mills Ltd, Rajkot, subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) the Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order. The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.9(8)/Lic.Pol./68.]

R. C. SETHI, Under Secy

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून 1970

का० आ० 2202/18ए०/आई० डी० आर० ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दि राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, राजकोट नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लि० राजकोट नामक उपरोक्त संपूर्ण अभिकरण का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये एतद्द्वारा गुजरात राज्य कपड़ा निगम लि० (गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन), अहमदाबाद (एतदोपरान्त जो प्राधिकृत नियंत्रक कहा जायेगा) को प्राधिकृत करती है ; जिसकी शर्तें निम्नोक्त हैं, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभाले। केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो इससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

[सं० फा० 9(8)/लीक० पोल०/68.]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970